संख्या-7/2019/जी-2- 159/दस-2019-1(विविध) /दस-2014

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर, 2019**

विषय- विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सदस्य एवं सलाहकार के मानदेय, भत्तों एवं अन्य सुवधिाओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा विभिन्न विभागों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त गैर सरकारी मा0 उपाध्यक्षगण को भी संदर्भगत शासनादेश दिनांक 15-12-2014 में मा0 अध्यक्षगण एवं मा0 सलाहकारगण को अनुमन्य दर पर आवासीय भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि उन्हें कोई आवासीय सुविधा न उपलब्ध करायी गयी हो।

2- यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

3- शासनादेश संख्या-4/जी-2-144/दस-2014-1विविध/दस-2014, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-7/2019/जी-2-159(1) /दस-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।